केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिवेश भवन,
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-32

सं.सी-27013/01/2014-हिन्दी/1825 दिनांक: 31.07.2014

प रि प त्र

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 73वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केन्द्रीय बोर्ड की 73वीं बैठक सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2014 को सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 पर चर्चा की गई। वार्षिक कार्यक्रम में "क" क्षेत्र के लिए हिन्दी में मूल पत्राचार 100 प्रतिशत, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर 100 प्रतिशत हिन्दी में दिया जाना, हिन्दी में टिप्पण 75 प्रतिशत, हिन्दी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण 65 प्रतिशत, द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना 100 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी अनुभागों/प्रभागों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रभाग/अनुभाग के सभी कंप्यूटरों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नि:शुल्क यूनीकोड युक्त द्विभाषी इंटेलीजेन्ट सॉफ्टवेयर इंडिक-1 एवं हिन्दी इंडिक इनपुट टूल लोड करें।

यद्यपि, हिन्दी अनुभाग द्वारा केन्द्रीय बोर्ड के मुख्यालय में अधिकतर कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली युक्त यह सॉफ्टवेयर लोड कर दिया गया है। तथापि, अभी भी कई नए कंप्यूटरों मं यह सॉफ्टवेयर लोड किया जाना बाकी है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से अधिकारी/कर्मचारी बिना हिन्दी टाइपिंग जाने आसानी से हिन्दी में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यह हिन्दी में ई-मेल व इंटरनेट में भी कार्य करने में सक्षम है।

चूंकि नियमानुसार कंप्यूटरों का द्विभाषीकरण व यूनिकोड प्रणाली अनिवार्य है। अत: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि जिन्होंने अपने कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफटवेयर लोड नहीं किया है, वे हिन्दी अनुभाग का सहयोग ले सकते हैं अथवा राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** एवं **Bhashaindia.com** से जानकारी प्राप्त करके इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।

उपर्युक्त पर की गई कार्रवाई से राजभाषा समिति की आगामी बैठक में अध्यक्ष महोदय को अवगत किया जाना है। अत: कृपया इसे अतिआवश्यक समझें और की गई कार्रवाई से हिन्दी अनुभाग को सूचित करें।

परमानन्द शर्मा
(परमानन्द शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

सेवा में,

1. सभी प्रभाग प्रभारी, केन्द्रीय बोर्ड -दिल्ली - कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. सदस्य सचिव के निजी सचिव - सदस्य सचिव महोदय के सूचनार्थ
3. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी - कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करें।